पेनकार्ड संख्या ईएसवीपीपी9023एच में मदन लाल पांडर तथा पासपोर्ट संख्या जे 6961138 की फोटो प्रति में प्रार्थी मदनराम एवं मदन लाल पांडर एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय मदनलाल पांडर के स्थान पर मदनराम हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि मदनराम एवं मदन लाल पांडर दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये रिकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 92 में दर्ज खातेदार मदनराम पुत्र हिम्मताराम जाति जाट सा. कठौती के स्थान पर मदन लाल पांडर पुत्र हिम्मताराम जाति जाट सा. फिरोजपुरा तथा राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 93 में दर्ज सहखातेदार नाम मदनराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान पर वास्तविक नाम मदन लाल पांडर दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम फिरोजपुरा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 92 में दर्ज खातेदार मदनराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान पर मदन लाल पांडर जाति जाट सा. फिरोजपुरा तथा राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 93 में दर्ज सहखातेदार नाम मदनराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान पर वास्तविक नाम मदन लाल पांडर दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

21/10/2024

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्डअधिकारी एवं
सहायककलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner